न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 113/2024 तारीख रजू:—10.07.2024

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. बच्चू पुत्र रामेश्वर	जाति माली, निवासी सोनपाल का पुरा
2. बदन पुत्र रामेश्वर	तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान — सायलान

बनाम

1. मोहन पुत्र घमण्डी जाति माली निवासी सोनपाल का पुरा तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान।

2. घनश्याम पुत्र सूरजमल जाति महाजन निवासी पोस्ट ऑफिस के पास सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

3. ओमप्रकाश	पिसरान घमण्डी जाति माली निवासी सोमली, तहसील सूरौठ
4. फूल सिंह	जिला करौली ———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :— 02.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस अदालत में हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 260 रकबा 25 है0, ख.नं. 273 रकबा 41 है0, ख.नं. 277 रकबा 14 है0, ख.नं. 284 रकबा 18 है0, ख.नं. 285 रकबा 7 है0, ख.नं. 290 रकबा 27 है0, ख. नं. 291 रकबा 25 है0, ख.नं. 295 रकबा 31 है0, ख.नं. 300 रकबा 19 है0, ख.नं. 303 रकबा 40 है0, ख.नं. 309 रकबा 51 है0, ख.नं. 312 रकबा 71 एयर कुल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किता 12 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर स्थित ग्राम सौमली तहसील सूरौठ मे सायलान 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि सायलान को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। जिनके परिवार का सजरा अंकित किया है जिसमें घमण्डी के पांच लडके अतर सिंह, रामेश्वर, फूलसिंह, मोहन, ओमप्रकाश तथा बेबा रामपति (फौत)है। रामेश्वर के वारिस उसके दो पुत्र बच्चू, बदन हैं तथा अतरसिंह के वारिसान उसके तीन लडके यादराम, जगदीश, मल्लाराम हैं तथा उसकी बेबा रेशम है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं. 1 प्रार्थना पत्र मे खातेदार मु. रामपति बेवा घमण्डी का देवयोग से स्वर्गवास हो चुका है, और उसके तरके पर उसके वारिसान काबिज एवम दखील है। रामपति के हिस्से में सायलान 1/30 हिस्से के, गैरसायल सं. 1 बहिस्सा 1/30, गैरसायल संख्या 3 व 4 प्रत्येक बहिस्सा 1/30, 1/30 गैरसायल सं. 5 ता 8 बहिस्सा 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 11. 06.2024 को करीब 10 बजे सायलान अपनी हिस्से की आराजीयात को आगामी फसल बाबत तैयार कर रहे थे कि गैरसायलान एक राय होकर आये एवम् कहने लगे कि तुम्हारे पास अधिक भूमि है। इसलिए अब हम तुम्हारे वाले हिस्से को काश्त करेंगे और तुमको हम काश्त नही करने देंगे तथा तुम्हारी भूमि पर हम जबरन कब्जा करेंगे। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाने का प्रयास किया कि भाईयो आप विधिवत् बटवारा करा लो, लेकिन गैरसायलान विधिक बटवारा कराने को तैयार नही है। इसलिए सायलान द्वारा दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात ख.नं. 260, 273, 277, 284, 285, 290, 291, 295, 300, 303, 309, 312 कुल किता 12 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर स्थित ग्राम सोमली तहसील सूरौठ के कब्जा काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नही करें। कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। जबरन कब्जा नही करें। रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 के अनुसार विवादित आराजी 260 रकबा 0.25 है0, 273 रकबा 0.41 है0, 277 रकबा 0.14 है0, 284 रकबा 0.18 है0, 285 रकबा 0.07 है0, 290 रकबा 0.27 है0, 291 रकबा 0.25 है0, 295 रकबा 0.31 है0, 300 रकबा 0.19 है0, 303 रकबा 0.40 है0, 309 रकबा 0.51 है0, 312 रकबा 0.71 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील सूरौठ की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र घमण्डी हि0 1/6 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार, घनश्याम गोयल पुत्र सूरजमल गोयल हि0 1/6

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाति महाजन सा0 सूरौठ खातेदार, फूलसिंह पुत्र घमण्डी हि0 1/6 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार, बच्चू पुत्र रामेश्वर हि0 1/12 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार, बदन पुत्र रामेश्वर हि0 1/12 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार, मोहन पुत्र घमण्डी हि0 1/6 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार, रामपति पत्नि स्व0 घमण्डी हि0 1/6 जाति माली सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी 260 रकबा 0.25 है0, 273 रकबा 0.41 है0, 277 रकबा 0.14 है0, 284 रकबा 0.18 है0, 285 रकबा 0.07 है0, 290 रकबा 0.27 है0, 291 रकबा 0.25 है0, 295 रकबा 0.31 है0, 300 रकबा 0.19 है0, 303 रकबा 0.40 है0, 309 रकबा 0.51 है0, 312 रकबा 0.71 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील सूरौठ में सायलान हि0 1/6 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी 260 रकबा 0.25

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है0, 273 रकबा 0.41 है0, 277 रकबा 0.14 है0, 284 रकबा 0.18 है0, 285 रकबा 0.07 है0, 290 रकबा 0.27 है0, 291 रकबा 0.25 है0, 295 रकबा 0.31 है0, 300 रकबा 0.19 है0, 303 रकबा 0.40 है0, 309 रकबा 0.51 है0, 312 रकबा 0.71 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)